न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 45/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. चौथूराम पुत्र श्री घींसाराम जाति गुर्जर निवासी गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —अप्रार्थी

आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 04.12.2019**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि खाता सख्या 59 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 1.18 है0, ख0नं0 258 रकबा 0.78 है0, किता 2 कुल रकबा 1.96 है0 वाके ग्राम गनौड़ा प0ह0 गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी/आवेदक के पिता का नाम सही व वास्तविक रूप से घींसा पुत्र नंन्दा दर्ज है जो सही है परन्तु खाता संख्या 111 की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 110 रकबा 3.00 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.10 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.06 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 6.74 है0 वाके ग्राम गनौड़ा पटवार हल्का गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिनमें प्रार्थी दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी/आवेदक का नाम घासी पुत्र नन्दा के नाम सें दर्ज है जिनमें एकरूपता नहीं है। प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम घींसाराम पुत्र नंदाराम है जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी/आवेदक का नाम घींसाराम पुत्र नंदाराम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संहवन सें प्रार्थी/आवेदक का नाम घासी पुत्र नन्दा दर्ज है जो गलत है। इनकी जगह प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम घींसाराम पुत्र नंदाराम उदघोषित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः आवेदन पत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन प्रार्थी/आवेदक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 3.00 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.10 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.06

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

है0, कुल किता 9 कुल रकबा 6.74 है0 वाके ग्राम गनौड़ा पटवार हल्का गनौड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम घींसराम पुत्र नंदाराम उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थी/आवेदक का नाम घासी पुत्र नन्दा के स्थान पर प्रार्थी/आवेदक का सही व वास्तविक नाम घींसाराम पुत्र नंदाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/आवेदक स्वयं तथा सहखातेदार पोखरमल पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी गनौड़ा के बयानात लिये गये जिनमें सहखातेदार पोखरमल ने उक्त वांछित दुरूस्ती करने हेतु अनापत्ति जाहिर की तथा प्रार्थी/आवेदक के गलत रूप सें अंकित नामों को दुरूस्त कर घींसाराम पुत्र नंदाराम दर्ज करने हेतु आग्रह किया। आवेदन पत्र पर वकील प्रार्थी/आवेदक की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी/आवेदक ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए संहवन सें गलत अंकित प्रार्थी/आवेदक के पिता के नाम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक नाम घींसाराम पुत्र नंदाराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आवेदक पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। सहखातेदार के बयानात पर गौर किया गया। चूंकि प्रार्थी/आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयों में एकरूप नहीं है अतः **प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सहखातेदार के बयानों के आधार पर प्रार्थी/आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गनौड़ा तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 110 रकबा 3.00 है0, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 122 रकबा 1.10 है0, खसरा नम्बर 123 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 125 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.14 है0, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.06 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 6.74 है0 में खातेदार प्रार्थी/आवेदक के पिता का नाम घासी पुत्र नंन्दा के स्थान पर घींसाराम पुत्र नंदाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner